पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम
दिशानिर्देश (05.10.2021)

विषय सूची

1 स्कीम का नाम: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन 2
2 विजन 2
3 उद्देश्य 2
4 अवधि 2
5 पात्रता 2
6 हकदारियां 2
i. भोजन और आवास के लिए सहयोग 3
ii. प्री-स्कूल और स्कूल शिक्षा के लिए सहायता 4
7 iii. स्वास्थ्य बीमा 4
iv. वित्तीय सहयोग 5
नोडल एजेंसियां - राष्ट्रीय, राज्य और जिला 5
i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भूमिका 5
8 ii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भूमिका 6
iii. जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका 7
प्रक्रिया का प्रवाह 7
i. लाभार्थी की पहचान 7
ii. लाभार्थी का पंजीकरण 7
iii. लाभार्थी का सत्यापन 8
iv. खाता खोलना 8
v. पीएम केयर्स के लाभार्थी के खाते में धनराशि का अंतरण 8
vi. निधि का प्रवाह 9
vii. स्कीमों से जोड़ना 10
viii. अन्य मंत्रालयों की भूमिका 10
ix. शिकायत निवारण 11
x. निगरानी एवं पर्यवेक्षण 11
xi. बच्चों के लिए फीडबैक सुविधा 11
xii. पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए डिजिटल रूप से संचालित प्रक्रियाएं 12
xiii. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
अनुलग्नक-1: स्कूल शिक्षा विभाग की स्कीमों के तहत बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाएं 13
अनुलग्नक-2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के तहत बच्चों को उपलब्ध लाभ कवर 15
अनुलग्नक-3: हितधारक मंत्रालयों के लिए उत्तरदायित्व मैट्रिक्स 16
अनुलग्नक-4: सांकेतिक निवेश राशि 17
अनुलग्नक-5: पोर्टल की परिकल्पित कार्यशीलताओं का संक्षिप्त विवरण 18
अनुलग्नक-6: लाभार्थी पंजीकरण, सत्यापन और खाता खोलने के लिए प्रक्रिया प्रवाह 20
अनुलग्नक-7: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत लाभार्थियों के लिए निधि प्रवाह का तंत्र 21
अनुलग्नक-8: संस्थानों के लिए निधि प्रवाह का तंत्र 22

1. स्कीम का नाम: पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन

2. विजन:

माननीय प्रधानमंत्री ने 29.05.2021 को उन बच्चों के लिए व्यापक सहयोग की घोषणा की है, जिन्होंने कोविड 19 महामारी के कारण अपने माता-पिता, दोनों को खो दिया है।

3. उद्देश्य:

जिन बच्चों ने कोविड महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है, उनकी निरंतर रूप से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण को सक्षम बनाना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ इन बच्चों को अभिसरण दृष्टिकोण,

शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अंतराल निधि, 18 वर्ष की आयु से मासिक वृत्तिका और **23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि** के माध्यम से सहयोग प्रदान करने का प्रावधान है।

4. **अवधि:**
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का लाभ उठाने के लिए पात्र बच्चों का नामांकन 29.05.2021 (माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा की तारीख) से 31.12.2021 तक किया जाएगा। यह स्कीम उस वर्ष तक जारी रहने की संभावना है जब प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी[1] की आयु 23 वर्ष हो जाएगी।

5. **पात्रता:**
वे सभी बच्चे जिन्होंने

i) माता-पिता, दोनों को या
ii) पालन पोषण करने वाले किसी भी माता या पिता
iii) कानूनी संरक्षक/दत्तकग्राही अभिभावकों/एकल दत्तकग्राही अभिभावक को डब्ल्यूएचओ द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित और वर्गीकृत किए जाने की तारीख 11.03.2020 से लेकर 31.12.2021 तक, कोविड 19 महामारी के कारण खो दिया है, इस स्कीम के तहत लाभ पाने के हकदार होंगे।
iv) माता-पिता की मृत्यु की तारीख को बच्चे ने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

6. **हकदारियां:**

i. **भोजन और आवास के लिए सहयोग:**

क) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की सहायता से बच्चे को उसके विस्तारित परिवार, रिश्तेदारों, निकट संबंधियों में पुनर्वास की संभावना तलाशने का प्रयास किया जाएगा।

ख) यदि बच्चे का विस्तारित परिवार, रिश्तेदार, परिजन उपलब्ध नहीं हैं/इच्छुक नहीं हैं/सीडब्ल्यूसी द्वारा उपयुक्त नहीं पाए गए हैं या बच्चा (4-10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं है, तो बच्चे को समय-समय पर यथा संशोधित किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत यथा निर्धारित उचित विचार के बाद, पालक देखभाल में रखा जाएगा।

ग) यदि पालक परिवार उपलब्ध नहीं है/इच्छुक नहीं है/सीडब्ल्यूसी द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया है, या बच्चा (4-10 वर्ष या उससे अधिक आयु का) उनके साथ रहने के लिए इच्छुक नहीं है, तो बच्चे को आयु और लिंग के अनुकूल बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) में रखा जाना चाहिए।

घ) 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों, जिन्हें विस्तारित परिवारों या रिश्तेदारों या पालक परिवारों द्वारा नहीं लिया जाता है या जो उनके साथ रहने के इच्छुक नहीं हैं या माता-पिता के निधन के बाद बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं, को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के अधीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या किसी अन्य आवासीय विद्यालय, में नामांकित किया जा सकता है।

ङ) यह सुनिश्चित किया जाए कि जहां तक संभव हो सहोदर (भाई या बहन) एक साथ रहें।

च) गैर-संस्थागत देखभाल के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर बच्चों को वित्तीय सहयोग (अभिभावक के साथ खाते में) प्रदान किया जाएगा। संस्थागत देखभाल में बच्चे के लिए, बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम के तहत निर्धारित प्रचलित दरों पर रखरखाव अनुदान बाल देखभाल संस्थानों को दिया जाएगा। राज्य की स्कीम के तहत निर्वाह सहयोग का कोई प्रावधान बच्चों को अतिरिक्त रूप से भी प्रदान किया जा सकता है।

ii. **प्री-स्कूल और स्कूली शिक्षा के लिए सहायता**

क. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए

चिन्हित लाभार्थियों को आंगनवाड़ी सेवाओं से अनुपूरक पोषण, प्री-स्कूल शिक्षा/ईसीसीई, टीकाकरण, स्वास्थ्य रेफरल और स्वास्थ्य जांच के लिए सहयोग और सहायता प्राप्त होगी।

---

[1] लाभार्थी/लाभार्थियों का अर्थ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत पात्र बालक लाभार्थी है

ख. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए

i) किसी भी नजदीकी स्कूल यानी सरकारी/सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल/केंद्रीय विद्यालय (केवी)/निजी स्कूलों में दिवस छात्र के रूप में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

ii) सरकारी स्कूलों में, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुफ्त वर्दी और पाठ्यपुस्तकों के दो सेट प्रदान किए जाएंगे।

iii) निजी स्कूलों में, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के तहत शिक्षण शुल्क से छूट दी जाएगी।

iv) ऐसी परिस्थितियों में, जहां बच्चा उपरोक्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है, आरटीई मानदंडों के अनुसार, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम से फीस दी जाएगी। इस स्कीम में वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान किया जाएगा। ऐसी पात्रताओं का एक विस्तृत मानक **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

ग. 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए

i) यदि बच्चा विस्तारित परिवार के साथ रह रहा है, तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निकटतम सरकारी/सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूल/केंद्रीय विद्यालय (केवी)/निजी स्कूलों में दिवस छात्र के रूप में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

ii) संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बच्चे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय/एकलव्य मॉडल स्कूल/सैनिक स्कूल/ नवोदय विद्यालय/या किसी अन्य आवासीय विद्यालय में नामांकित किया जा सकता है।

iii) छुट्टियों के दौरान ऐसे बच्चों के आवास के लिए जिला मजिस्ट्रेट सीसीआई या किसी उपयुक्त स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं।

iv) ऐसी परिस्थितियों में, जहां बच्चा उपरोक्त लाभ प्राप्त करने में असमर्थ है, फीस आरटीई मानदंडों के अनुसार पीएम केयर्स स्कीम से दी जाएगी। यह स्कीम वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगी। ऐसी हकदारियों का विस्तृीत विवरण का मैट्रिक्स **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

घ. उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता

i) बच्चे को भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी।

ii) ऐसी परिस्थितियों में जहां लाभार्थी केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा स्कीम से ब्याज छूट का लाभ उठाने में असमर्थ है, तो शैक्षिक ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा।

iii) विकल्प के रूप में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय और उच्चतर शिक्षा विभाग की स्कीमों से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कींम के लाभार्थियों को मानदंडों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऐसी हकदारियों का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

iii. स्वास्थ्य बीमा:

क. सभी बच्चों को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ आयुष्मान भारत योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा।

ख. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत पहचाने गए बच्चे को पीएमजेएवाई के तहत लाभ मिले।

ग. बच्चों को स्कीम के तहत मिलने वाले लाभ **अनुलग्नक-2** में हैं।

iv. वित्तीय सहायता:

क. लाभार्थियों का खाता खोलने और सत्यापन करने के बाद एकमुश्त रकम सीधे उनके डाकघर के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। प्रत्येक पहचाने गए लाभार्थी के खाते में आनुपातिक राशि अग्रिम रूप से इस प्रकार जमा की जाएगी ताकि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय प्रत्येक लाभार्थी के लिए धन संग्रह 10 लाख रुपये हो जाए[2]।

ख. बच्चों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 10 लाख रुपये निवेश करने पर मासिक वृत्तिका मिलेगी। लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वृत्तिका मिलेगी।

ग. 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें 10 लाख रुपये की धनराशि मिलेगी।

7. नोडल एजेंसियां - राष्ट्रीय, राज्य और जिला:

केंद्रीय स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में बाल संरक्षण सेवा स्कीम की देखरेख करने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय विभाग राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी होंगे। स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) नोडल प्राधिकारी होंगे।

I. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भूमिका:

क) राज्य और जिला नोडल एजेंसियों के समन्वय से मंत्रालय स्कीम का क्रियान्वयन करेगा।

ख) मंत्रालय राज्य और जिला अधिकारियों को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

ग) मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से लाभार्थियों के विवरण वाले पोर्टल बनाएगा और इसका रखरखाव करेगा।

घ) मंत्रालय जिलाधिकारियों के खाते में धनराशि जारी करने के लिए पीएम केयर फंड के साथ समन्वय करेगा।

ड.) लाभार्थियों के डाकघर खाते में कॉर्पस राशि स्थानांतरित करने और शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों से संबंधित अन्य खर्चों के लिए मंत्रालय डीएम के साथ समन्वय करेगा।

च) स्कीम को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, किसी अन्य मंत्रालय विभाग या संगठन या जैसे हितधारक मंत्रालयों के साथ समन्वय करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल का लाभ उठाएगा।

छ) जब कभी भी आवश्यक हो मंत्रालय लाभार्थियों के संबंध में पीएम केयर फंड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

ज) मंत्रालय को पोर्टल के प्रबंधन, समग्र समन्वय के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें राज्यों/जिला अधिकारियों के साथ समन्वय करना, निधि जारी करना, बच्चों के विकास का चार्ट बनाना,

[2] पात्र लाभार्थी की आयु की गणना आगामी जन्म तिथि पर पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे ने 3 अगस्त, 2021 को अपने माता-पिता को खो दिया है और वह उस समय 4 महीने का है, तो प्रीमियम की गणना के लिए बच्चे की उम्र एक (1) वर्ष के रूप में ली जानी चाहिए। इसी प्रकार, 12 वर्ष 9 माह के पात्र लाभार्थी के लिए अग्रिम एकमुश्त अंशदान राशि, 13 वर्ष की आयु के लिए निर्दिष्ट राशि होगी। महीनों और दिनों की संख्याह को अगले पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित किया जाएगा।

आवश्यक रिपोर्ट तैयार करना और निगरानी करने की प्रक्रिया शामिल है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बाल कल्याण) पीएमयू की निगरानी करेंगे।

II. राज्यों/ संघ राज्यी क्षेत्र की सरकारों की भूमिका:

क) बाल संरक्षण सेवा योजना का कार्यान्वयन करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय विभाग इस स्कीम के लिए नोडल विभाग होगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के कार्यान्वियन के लिए राज्य में नोडल अधिकारी होंगे।

ख) उक्त विभाग इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने वाले बच्चों की देखरेख और सुरक्षा के लिए उनकी 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने होने तक दीर्घकालिक आधार पर सभी जिलों द्वारा की गई कार्रवाइयों की निगरानी करेगा।

ग) विभाग बच्चों के लिए सेवाओं और लाभों को सुविधाजनक रूप से प्रदान करने में जिला मजिस्ट्रेटों की मदद करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और राज्य के अन्य विभागों के साथ समन्वय करेगा।

घ) विभाग प्रत्येक बच्चे के मामले में हुई प्रगति की निगरानी करेंगे और उच्च अध्ययन, खेल, व्यांवसायिक प्रशिक्षण या बच्चे के सर्वोत्तम हित में किसी अन्य उद्देश्य के लिए अंतर-राज्य स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करेंगे।

III. जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका:

क) जिला मजिस्ट्रेट जिले में स्कीम का संचालन करेगा।

ख) डीएम (पदनाम द्वारा) इस स्कीम के तहत सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इन बच्चों के अभिभावक[3] के रूप में कार्य करेंगे।

ग) **पहचान, पंजीकरण और सत्यापन** - डीएम बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) और जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की सहायता से लाभार्थियों की पहचान करेंगे। लाभार्थी की प्रामाणिकता के बारे में खुद की संतुष्टि होने के बाद, वह पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर बच्चे के विवरण का सत्यापन और पुष्टि करेंगे।

घ) इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, डीएम द्वारा विधिवत किए गए अधिकृत एक एडीएम को शामिल किया जा सकता है।

ड.) **खाते की पहचान** – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से धन प्राप्त करने के लिए, डीएम या तो मौजूदा खाते की पहचान करेगा या एक नया खाता खोलेगा और खाते के विवरण को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर निरुपित (मैप) करेगा।

च) **खाता खोलना** - संबंधित जिला अधिकारियों की सहायता से लाभार्थियों का खाता खोलने के लिए डीएम उत्तरदायी होगा।

छ) **पीएम केयर लाभार्थियों के खाते में धनराशि का स्थानांतरण** - खाता खोले जाने और उसके सत्यापन के बाद, डीएम लाभार्थियों के खाते में पात्र संग्रह धनराशि को स्थानांतरित करेंगे ।

(पैरा संख्या 8(iv) और (v) देखें)

ज) डीएम बच्चों के लिए शैक्षिक, स्वास्थ्य और अन्य गतिविधियों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को पोर्टल के माध्यम से धन के लिए अनुरोध भी करेंगे। इन निधियों का उपयोग मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत शामिल नहीं की गई गतिविधियों पर व्यय के लिए किया जाएगा।

---

[3] उपरोक्त संदर्भ में स्कीम में 'अभिभावक' शब्द का उपयोग पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन के तहत परिकल्पित भूमिका, कार्यों, कर्तव्यों के उद्देश्य से किया गया है, जो किसी भी स्तर पर न्यायालय या किसी भी कानून के तहत अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त 'अभिभावक' की भूमिका के मानार्थ होगा।

झ) **वार्षिक गतिविधियाँ -**

i. पोर्टल पर बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करना
ii. डीएम वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर सकते हैं
iii. उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य मापदंडों की समीक्षा करना
iv. लाभार्थी के लिए अनुपूरक शिक्षा और कैरियर परामर्श सुविधा का आयोजन करना

ञ) अतिरिक्त प्रमुख गतिविधियाँ -

i यदि आवश्यक हो, तो भोजन और आवास के संदर्भ में तत्काल सहायता प्रदान करना
ii. बच्चे को गैर-संस्थागत देखरेख में या सीसीआई में रखने से पहले खुद को इस बात से संतुष्ट करना कि यह कार्रवाई बच्चे के सर्वोत्तम हित में की जा रही है
iii. यह सुनिश्चित करना कि जहां तक संभव हो, सहोदर एक साथ रहें।
iv. यदि यह पाया जाए कि बच्चा वर्तमान परिस्थितियों में दबाव में है तो बच्चे का निवास स्थान बदलना
v. पात्रता के अनुसार सरकार की मौजूदा स्कीमों के तहत बच्चे को लाभ प्रदान करना

8. **प्रक्रम के प्रवाह :**

लाभार्थी की पहचान, पंजीकरण, सत्यापन, खाता खोलने, पीएम केयर्स राशि जमा करवाने तथा लाभार्थियों को स्कीम के साथ जोड़ने के लिए क्रमबद्ध प्रक्रिया प्रवाह निम्नलिखित है :-

i. **लाभार्थी की पहचान**

क. जिला मजिस्ट्रेट पुलिस, जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू), चाइल्ड लाइन तथा सिविल सोसायटी संगठनों की सहायता से इन बच्चों की पहचान के लिए एक अभियान चलाएगा।
ख. ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी तथा आशा नेटवर्क को सीडब्ल्यूसी को इन बच्चों के बारे में सूचना देने के लिए सुग्राही बनाया जा सकता है।
ग. आम जनता को इस बारे में सूचित करने और ऐसे बच्चों को सीडब्ल्यूसी के पास ले जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने या चाइल्डलाइन (1098) या डीसीपीयू के माध्यम से उनके बारे में सूचना देने के लिए स्थानीय भाषा में पहचान संबंधी अभियान के बारे में पर्याप्त प्रचार किया जा सकता है।
घ. कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपने दोनों माता-पिता या पालन-पोषण करने वाले किसी भी माता या पिता या कानूनी संरक्षक/दत्तक माता-पिता/सिंगल दत्तक माता-पिता को खो देने वाले और इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की अपेक्षा वाले बच्चों को बच्चे का पता लगने के 24घण्टे के भीतर, यात्रा के समय को छोड़कर, चाइल्ड लाइन (1098), जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) या किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

ii. **लाभार्थी पंजीकरण :**

लाभार्थी की पहचान के पश्चात, स्कीम के अंतर्गत सहायता की अपेक्षा हेतु अनुरोध फार्म को बच्चे या देखभाल करने वाले व्यक्ति या बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने वाले किसी अन्य अभिकरण द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर भरा जाना चाहिए। स्कीम के अंतर्गत चिन्हित किए जाने वाले इन सभी बच्चों को एक सप्ताह की अवधि के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।

iii. **लाभार्थी सत्यापन :**

क. पोर्टल पर लाभार्थी के पंजीकरण के पश्चात, डीसीपीयू की मदद से बाल कल्याण समिति मृतक माता-पिता, घर का पता, स्कूल, संपर्क ब्यौरा तथा अन्य ब्यौरे सहित कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अपने दोनों माता-पिता या पालन-पोषण करने वाले माता या पिता या कानूनी संरक्षक/दत्तक माता-पिता/सिंगल दत्तक माता-पिता को खो देने वाले बच्चे से संबंधित तथ्य एकत्रित करेगा। सीडब्ल्यूसी माता-पिता के मृत्यु प्रमाणपत्र या क्षेत्रीय जांच के द्वारा माता-पिता की मृत्यु के कारण का सत्यापन करेगा। इस सूचना को जिला मजिस्ट्रेट के विचारार्थ प्रस्तुत किए

जाते समय पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर सीडब्ल्यूसी द्वारा अपलोड किया जा सकता है। लाभार्थी के सत्यापन के कार्य को 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख. सीडब्ल्यूसी अन्य अभिकरणों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले या सूचित किए जाने वाले सभी बच्चों का ब्यौरा अपलोड करेगा और यह कार्य एक सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

ग. सीडब्ल्यूसी की सिफारिश- प्रत्येक मामले के तथ्यों का पता लगाने के पश्चात, सीडब्ल्यूसी बच्चे से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। यदि सीडब्ल्यूसी किसी विशेष बच्चे की सिफारिश नहीं करती है तो जिला मजिस्ट्रेट के विचार जानने के लिए पोर्टल पर दिए गए स्थान पर कारण रिकॉर्ड किए जाने चाहिए।

घ. जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकता है या सीडब्ल्यूसी या डीसीपीयू के द्वारा समीक्षा की अपेक्षा कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति द्वारा सिफारिश किए गए या सिफारिश नहीं किए गए प्रत्येक बच्चे के बारे में स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा। जिला मजिस्ट्रेट को बाल संरक्षण कर्मचारियों, पुलिस, चाइल्डलाइन या इस प्रयोजनार्थ उचित समझे जाने वाले किसी अन्य अभिकरण द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है।

ङ. पोर्टल पर लाभार्थी की पात्रता की पुष्टि- लाभार्थी की पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेने के पश्चात, इसकी पुष्टि पोर्टल पर की जाएगी। स्कीम के अंतर्गत बच्चे की पात्रता के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर लाभार्थी के पंजीकरण से संबंधित प्रवाह के लिए **अनुलग्रक-6** देखें।

च. समय अवधि –जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र लाभार्थियों के अंतिम अनुमोदन के लिए लाभार्थी की पहचान की प्रक्रिया एक महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाए। बच्चा स्कीम के लाभ प्राप्त करने या लाभों के लिए अस्वीकृत होने का पात्र है या नहीं, इसका निर्णय एक माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

iv. खाता खोलना:

पात्र लाभार्थियों का खाता खोलने का उत्तरदायित्व जिला मजिस्ट्रेट का होगा। उसकी सहायता और सहयोग जिला स्तरीय प्राधिकरणों अर्थात सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, डाक खाना प्राधिकारियों तथा अन्य द्वारा किया जाएगा। नीचे दिए गए दोनों ही मामलों में, खाता डाकखाने में खोला जाएगा।

क. 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खाता खोलना –जिस पात्र लाभार्थी ने खाता खोलने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसके लिए संयुक्त खाता धारक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट (पदनाम द्वारा[4]) के साथ 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021' के अंतर्गत लाभार्थी के नाम से खाता खोला जाएगा।

ख. 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले बच्चों के लिए खाता खोलना- खाता खोलने की तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के मामले में, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के लिए एक खाता खोला जाएगा।

v. पीएम केयर्स के लाभार्थी के खाते में निधियों का अंतरण - लाभार्थी के सफलतापूर्वक सत्यापन और डाकखाने के खाते की वैधता के पश्चात, अपेक्षित राशि लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निधियां प्राप्त होने के एक माह के भीतर धन लाभार्थियों के खाते में डाल दी जाए। बच्चों की आयु संबंधी रूपरेखा के अनुसार, सांकेतिक निवेश राशि को **अनुलग्नक-4** में देखा जा सकता है।

vi. निधि प्रवाह :

क) पीएम केयर्स निधि से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को

[4] स्कीम में प्रयोग किया शब्द ''संरक्षक'' का उपयोग पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत परिकल्पित भूमिका, कार्यों, उत्तरदायित्वों के उद्देश्य हेतु उपरोक्त संदर्भ में किया जाता है, जोकि किसी भी विधि के अधीन न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा किसी भी स्तर पर नियुक्त किए गए ''संरक्षक'', यदि कोई है तो, की भूमिका के अनुरूप होगा।

I. पोर्टल पर लाभार्थियों की अनुमोदित सूची प्राप्त करने के पश्चात, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मंत्रालय को एकमुश्त राशि जारी करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल के माध्यम से पीएम केयर्स फण्ड को अपनी मांग भेजेगा। पीएम केयर्स फण्ड से निधि एक समर्पित खाते में डाली जाएगी जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित और संचालित किया जाएगा।

II. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस समर्पित खाते को निधि के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ बैंक में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के नाम से खोला जाएगा।

ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जिला मजिस्ट्रेट को

i. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लाभार्थियों के खाते में अग्रिम अंशदान जमा करने के लिए डीएम द्वारा खोले गए मौजूदा खाते या नए खाते में एकमुश्त राशि हस्तांतरित करेगा।

ii. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधिमान्य ठहराई गई आवर्ती राशि का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य गतिविधियों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए डीएम के खाते में भी वार्षिक रूप से अंतरण करेगा।

ग) जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से लाभार्थियों और संस्थानों को

i. डीएम के इस चिन्हित खाते से बच्चे की आयु के आधार पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग एकबारगी अंशदान **(अनुलग्नक-4)** बच्चे के खाते में इस तरह से जमा किया जाएगा ताकि बच्चे की 18 वर्ष की आयु होने पर कुल राशि 10 लाख रुपये की धनराशि का संग्रह हो जाए[5]।

ii. डीएम बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य गतिविधियों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए उत्तरदायी संस्थानों को आवश्यक निधियां प्रदान करेगा,

घ) नाबालिग खाताधारक के लिए - लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, खाता बंद कर दिया जाएगा, और पीएम - केयर्स फंड में आगे प्रेषण के लिए संयुक्त खाताधारक को एकमुश्त अग्रिम योगदान का भुगतान किया जाएगा।

ड.) प्रमुख खाताधारक के लिए - लाभार्थी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार खाते का संचालन किया जाएगा।

vii. स्कीमों से जोड़ना

क) सीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बच्चों का आधार पंजीकरण सुनिश्चित करेगी। यदि लाभार्थी के पास आधार पंजीकरण नहीं है, तो डीएम आधार पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेंगे।

ख) नए आधार के लिए बच्चों का नामांकन करने या मौजूदा आधार में जनसांख्यिकीय डेटा को अद्यतित करने के लिए पीओए/पीओएल के रूप में डीएम या किसी उपयुक्त अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा यूआईडीएआई निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

ग) 5 वर्ष/15 वर्ष पूरा होने के बाद, बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक है। यह अद्यतन के समय वर्तमान अभिभावक की सहमति से किया जा सकता है, और अभिभावक उस व्यक्ति से एक अलग व्यक्ति हो सकता है, जो प्रारंभिक नामांकन के समय अभिभावक था। इसके अलावा, वर्तमान अभिभावक की सहमति से

---

[5] पात्र लाभार्थी की आयु आगामी जन्म तिथि पर पूर्ण किए गए वर्षों की संख्या होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे ने 3 अगस्त, 2021 को अपने माता-पिता को खो दिया है और वह उस समय 4 महीने का है, तो प्रीमियम की गणना के लिए बच्चे की उम्र एक(1) वर्ष के रूप में मानी जानी चाहिए। इसी प्रकार, 12 वर्ष 9 माह के पात्र लाभार्थी के अग्रिम एकमुश्त अंशदान राशि, 13 वर्ष की आयु के लिए निर्दिष्ट राशि होगी। किन्हीं भी महीनों और दिनों को अगले पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित किया जाएगा।

कोई जनसांख्यिकीय अद्यतन भी किया जा सकता है, जो कोई रिश्तेदार या डीएम द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत कोई अधिकारी (पदनाम द्वारा)[6] हो सकता है।

घ) सीडब्ल्यूसी की सिफारिशों के आधार पर, डीएम निम्नलिखित के लिए उचित आदेश जारी करेंगे :

I. विस्तारित परिवार के साथ पालक (फॉस्टर) देखभाल में या सीसीआई में, जैसा उचित समझा जाए, बच्चे का पुनर्वास,

II. बाल संरक्षण सेवाओं (सीपीएस) के तहत गैर-संस्थागत देखभाल (विस्तृत परिवार या पालक वाले परिवार के साथ रहने वाला बच्चा) के लिए वित्तीय सहायता,

III. बच्चे को संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए मौजूदा स्कीमों से जोड़ते समय इन दिशानिर्देशों की धारा 2 के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्कूली शिक्षा को जारी रखना,

IV. आयुष्मान भारत के अंतर्गत बच्चे को पीएम-जेएवाई स्कीम से जोड़ना,

V. बच्चे को पात्रता के अनुसार केंद्र या राज्य की किसी अन्य कल्याणकारी स्कीम से जोड़ना,

VI. मौजूदा स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करके या उपयुक्त ऋण की व्यवस्था करके बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए सहायता करना।

viii. अन्य मंत्रालयों की भूमिका

मंत्रालय और विभाग अर्थात स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय या स्कीम को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कोई अन्य मंत्रालय, विभाग या संगठन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी स्कीमों और कार्यक्रमों के तहत पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत बच्चों को देय सुविधाएं और सेवाएं बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान की जाएं। संबंधित मंत्रालय/विभाग पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों को लाभ/सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम आदेश जारी करेंगे। उत्तरदायित्व मैट्रिक्स **अनुलग्नक-3** में दी गई है।

वित्त मंत्रालय अपनी लघु बचत स्कीम और मासिक निवेश योजना के माध्यम से पीएम केयर के लाभार्थियों के लिए सहायता प्रदान करेगा।

ix. शिकायत निवारण :

क) डीएम द्वारा शिकायतों, यदि कोई हो, के निस्तारण के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।

ख) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल में शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाएगा। पोर्टल द्वारा शिकायत उठाने और उसका समाधान करने संबंधी कार्य किया जा सकेगा। पीएम केयर्स ऑफ चिल्ड्रन पोर्टल की परिकल्पना प्रत्येक शिकायत के लिए प्रदान किए गए समाधान की शुरू से लेकर अंत तक ट्रैकिंग करने के लिए की गई है।

ग) पीएम केयर्स ऑफ चिल्ड्रन पोर्टल लंबित शिकायतों/कार्रवाइयों के लिए अलर्ट भी प्रदान करेगा और लंबित शिकायतों को स्वचालित रूप से क्रम में बढ़ाएगा - जिला से राज्य स्तर और फिर राज्य से केंद्रीय स्तर तक। एक पखवाड़े के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी और पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।

घ) पोर्टल में अंतर्निर्मित शिकायत डैशबोर्ड भी होगा और शिकायत निवारण का पिछला सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। एक पखवाड़े के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी और पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा।

---

[6] नामांकन/अद्यतन के लिए, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान के प्रमुख भी यूआईडीएआई मानक प्रमाण पत्र प्रारुप पर ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों में से एक हैं। 0-5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन के मामले (ऐसे मामले जहां बच्चे की उंगलियों का निशान और आंखों की पुतली नहीं ली जाती है), में अभिभावक का आधार नम्बर लिया जाएगा।

ड.) यदि शिकायतें, 15 दिनों से अधिक समय तक लंबित हैं, तो इन्हें स्वचालित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर भेज दिया जाएगा। ऐसे मामलों में, राज्य नोडल अधिकारी संबंधित डीएम से परामर्श कर सकते हैं और उचित कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं।

च) यदि शिकायतों पर 30 दिनों तक ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उन्हें स्वचालित रूप से महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। मंत्रालय संबंधित राज्य नोडल अधिकारी, डीएम या नोडल मंत्रालयों से परामर्श कर सकता है और उचित कार्रवाई कर सकता है।

x. निगरानी और पर्यवेक्षण

क) नोडल राज्य विभाग, जिसमें महिला और बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, और बाल संरक्षण स्कीम से संबंधित कोई भी अन्य विभाग शामिल है, स्कीम का कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी और सुविधा प्रदान करेंगे।

ख) हितधारक विभाग और मंत्रालय जैसे कि शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ प्राधिकरण, सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय आदि राज्य और जिला स्तर पर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत अभिचिन्हित बच्चों को सुविधाओं और सेवाओं की प्रदानगी की निगरानी भी करेंगे।

ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण के लिए निगरानी करना जारी रखेगा। मंत्रालय राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से किशोर न्याय संस्थाओं का लाभ उठाते हुए पोर्टल के माध्यम से इस योजना के तहत प्रदान की गई निधियों और लाभों की निगरानी भी करेगा।

घ) बाल संरक्षण स्कीम के तहत संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान की गई सहायता को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।

xi. बच्चों के लिए फीडबैक सुविधा :

बच्चों/अभिभावकों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड देखने के लिए एक लॉगिन आईडी दी जाएगी, जिसमें उनकी पात्रताओं, प्रदान की जा रही सेवाओं, सीडब्ल्यूसी सदस्यों, डीसीपीयू और डीएम के महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों को दर्शाया जाएगा।

xii. बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए डिजिटल रूप से संचालित प्रक्रियाएं

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में लाभार्थी पंजीकरण, सत्यापन, निधि अंतरण, लाभार्थी और निधि निगरानी, और शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत पोर्टल होगा। इस पोर्टल की परिकल्पना लाभार्थियों को शुरू से लेकर अंत तक सहायता और स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन और निगरानी के लिए व्यापक कार्यक्षमता की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है (विस्तृत कार्यात्मकता के लिए **अनुलग्नक-5** देखें)

क. लाभार्थी – लाभार्थियों का पंजीकरण और सत्यापन पोर्टल पर किया जाएगा। केवल सत्यापित लाभार्थी ही योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।

ख. बैंक/डाकघर खाता – निधि प्रवाह के लिए चिन्हित लाभार्थी, डीएम और सभी संबंधित खातों को पोर्टल पर विधिमान्य किया जाएगा। धनराशि केवल मान्य खातों में अंतरित की जाएगी।

ग. **निधि अंतरण** – निधियों के लिए सभी मांग पोर्टल के माध्यम से साझा की जाएगी। डीएम संबंधित मंत्रालयों/विभागों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मांग साझा करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके बाद पीएम केयर्स फंड में धन के लिए एक समेकित मांग साझा करेगा। पोर्टल के माध्यम से धनराशि का अनुमोदन और संवितरण भी निर्देशित किया जाएगा।

घ. **अभिसरण** – पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लाभार्थियों के लिए बाल संरक्षण योजना के तहत लाभ सहित सभी योजना लिंकेज पोर्टल पर प्राप्त किए जा सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के बारे में समेकित दृष्टिकोण रखेगा।

ड. **निगरानी और पर्यवेक्षण –** पोर्टल अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक लाभार्थी को हस्तांतरित लाभों निधि उपयोग, लाभार्थी रिपोर्ट कार्ड के पूर्ण पर्यवेक्षण को सक्षम बनाएगा। डीएम, संबंधित मंत्रालयों/विभागों अभिसरण की प्रगति और स्थिति को भी देख सकेंगे।

च. **फीडबैक और शिकायत निवारण** – लाभार्थी/अभिभावक ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रदान करने और/या शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

xiii. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण**

योजना के सुचारू संचालन और कार्यान्वयन के लिए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऑनलाइन ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से सभी हितधारकों के अभिविन्यास और संवेदीकरण के लिए एक बारगी क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अनुलग्नक -1

स्कूल शिक्षा विभाग, भारत सरकार की स्कीमों के तहत बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

#.	स्कूल का प्रकार/नाम	पहले से ही प्रदान की जा रही सुविधाएं	डीओएसईएल की स्कीम के तहत शामिल नहीं की गई सुविधाएं (इनके लिए धन का डीएम द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम से दावा किया जा सकता है)
क.	10 **वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए :**		
1.	समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूल	स्कूल फीस : नि:शुल्क शिक्षा	स्टेशनरी
		सभी लड़कियों, एससी, एसटी और बीपीएल बच्चों के लिए वर्दी	
		पाठ्यपुस्तकें	सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लड़कों के लिए वर्दी
2.	केन्द्रीय विद्यालय (शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए)	स्कूल फीस : नि:शुल्क शिक्षा	-
		वर्दी	
		एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें	
		नोटबुक	
		स्टेशनरी	
		परिवहन	
3.	निजी स्कूल (आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए)	स्कूल फीस – आरटीई मानदंडों के अनुसार प्रतिपूर्ति	वर्दी
			पाठ्यपुस्तकें
			स्टेशनरी
			प्रवेश केवल प्रवेश स्तर कक्षा- कक्षा 1 या प्री-स्कूल में दिया जा सकता है।
ख.	11-18 **वर्ष की आयु के बच्चों के लिए :**		
I.	**डे स्कॉलर के रूप में स्कूल:**		
1.	समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूल	स्कूल की फीस : नि:शुल्क शिक्षा	सभी बच्चों के लिए स्टेशनरी
		सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल बच्चों **(आठवीं कक्षा तक)** के लिए वर्दी	सामान्य और ओबीसी श्रेणी के लड़कों के लिए वर्दी (कक्षा आठवीं तक) और कक्षा Ix से Xii के सभी बच्चों के लिए
		पाठ्यपुस्तकें **(कक्षा आठवीं तक)**	कक्षा ix से Xii तक के सभी बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें
2.	केन्द्रीय विद्यालय (शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत प्रवेश दिए गए बच्चों के लिए) **(आठवीं कक्षा तक)**	स्कूल की फीस : निशुल्क शिक्षा	कक्षा IX से XII के बच्चों के लिए सभी सुविधाएं (फीस, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों और स्टेशनरी की प्रतिपूर्ति)
		वर्दी	
		एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें	
		नोटबुक	
		स्टेशनरी	
		परिवहन	
3.	निजी स्कूल छ. आरटीई अधिनियम की	स्कूल फीस – आरटीई मानदंडों के अनुसार प्रतिपूर्ति	IX से XII कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति

	धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत प्रवेश दिए गए बच्चे	**(कक्षा VIII तक)**	
			सभी बच्चों के लिए वर्दी, पाठ्यपुस्तकें और स्टेशनरी
	ज. अन्य बच्चों के लिए		स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति
			सभी बच्चों के लिए वर्दी, किताबें और स्टेशनरी
II.	**आवासीय स्कूल :**		
1.	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (VI से XIIवीं कक्षा तक सिर्फ **बालिकाओं** के लिए आवासीय स्कूल	स्कूल फीस-नि:शुल्क शिक्षा	
		नि:शुल्क भोजन तथा आवास	
		वर्दी	
		पाठ्यपुस्तकें	
		स्टेशनरी	
		प्रतिमाह 100/-रुपये की दर से छात्रवृत्ति	
2.	VI से XIIवीं कक्षा तक के बालकों और बालिकाओं के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय स्कूल	स्कूल फीस-नि:शुल्क शिक्षा	
		नि:शुल्क भोजन तथा आवास	
		वर्दी	
		पाठ्यपुस्तकें	
		स्टेशनरी	
		छात्रवृत्ति	
3.	VI से XIIवीं कक्षा तक के बालकों और बालिकाओं के लिए* जवाहर नवोदय विद्यालय	स्कूल फीस-नि:शुल्क शिक्षा	
		नि:शुल्क भोजन तथा आवास	
		वर्दी	
		पाठ्यपुस्तकें	
		नोटबुक	
	*जेएनवी में प्रवेश कक्षा VI और IX में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। कक्षा IX में प्रवेश स्कूलों में रिक्त सीटों पर निर्भर करता है		

अनुलग्नक-2

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बच्चों के लिए उपलब्ध लाभ कवर

पीएम-जेएवाई की मुख्य विशेषताएं

- पीएमजेएवाई भारत में सभी सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक देखरेख अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है।
- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अंतर्गत, सहायता के लिए चिन्हित बच्चे के मामले में, वह 5 लाख के कवर का हकदार होगा/होगी।
- पीएमजेएवाई सेवा केंद्रों, जो कि अस्पताल है, में लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य देखरेख सेवा तक कैशलैस पहुंच प्रदान करता है।
- यह अस्पताल में भर्ती होने के पूर्व 4 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन के खर्चों को कवर करता है जैसे नैदानिक सेवाएं और दवा।
- पूर्णतया कागज रहित ।
- पूर्ववर्ती सभी स्थितियों को पहले दिन से कवर किया जाता है।
- इस स्कीम का लाभ देश में कहीं से भी लिया जा सकता है, जैसे लाभार्थी कैशलैस इलाज प्राप्त करने के लिए भारत में किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक अथवा निजी अस्पताल में जा सकता है।
- इन सेवाओं में लगभग 1600 से अधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जिसमें उपचार से संबंधित सारी लागतें कवर होती हैं और इसमें दवा, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएं, चिकित्सकों का शुल्क, सर्जन का प्रभार, ओटी और आईसीयू शुल्क इत्यादि शामिल हैं और यह केवल इन तक ही सीमित नहीं है।
- सार्वजनिक अस्पतालों को निजी अस्पतालों के बराबर स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति की जाती है।

पीएम-जेएवाई के अंतर्गत लाभ

इस स्कीम के अंतर्गत कवर में इलाज के निम्नलिखित घटकों पर हुए सभी खर्च शामिल हैं :

- चिकित्सा जांच इलाज और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व
- दवाएं और चिकित्सा उपभोज्य
- गैर-गहन और गहन देखरेख सेवाएं
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
- चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- आवास संबंधी लाभ
- खाद्य सेवाएं
- इलाज के दौरान उत्पन्न जटिलताएं
- अस्पताल में उपचार प्राप्त होने के बाद 15 दिन तक अनुवर्ती देखरेख

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पीएम पोर्टल पर विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

अनुलग्नक-3

हितधारक मंत्रालयों के लिए उत्तरदायित्व मैट्रिक्स

क्र.सं.	मंत्रालय	भूमिकाएं
1.	स्कूल शिक्षा और अधिगम विभाग	• यू-डीआईएसई के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना। • यह सुनिश्चित करना कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अंतर्गत सहायता के लिए चिन्हित बच्चों को इन दिशानिर्देशों के पैरा 2 में यथोल्लिखित शैक्षणिक

		सहायता मिले।
2.	उच्चतर शिक्षा विभाग	• इसकी स्कीम और कार्यक्रम के अंतर्गत ऋणों और छात्रवृत्तियों को सुविधाजनक बनाना।
3.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• आयुष्मान भारत प्रणाली के साथ आंकड़े का तादात्मीकरण सुनिश्चित करना। • पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अंतर्गत सहायता के लिए चिन्हित बच्चों को पीएम-जनआरोग्य योजना के अंतर्गत बच्चों को 5 लाख तक का बीमा कवर सुनिश्चित करना।
4.	सामाजिक न्याय और रोजगार मंत्रालय	• छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अंतर्गत सहायता के लिए चिन्हित बच्चों को समायोजित करना।
5.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	• छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अंतर्गत सहायता के लिए चिन्हित बच्चों को समायोजित करना।
6.	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	• छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए पीएम केयर्स के अंतर्गत सहायता के लिए चिन्हित बच्चों को समायोजित करना।
7.	आर्थिक कार्य विभाग	• किसी ऐसे साधन में सावधि जमा (फिक्स डिपोजिट) के निवेश को सुविधाजनक बनाना ताकि 18 वर्ष की आयु के उपरांत छात्रवृत्ति एवं 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित हो सके।

अनुलग्नक-4

सांकेतिक निवेश निधि

तालिका

खाता खोलते समय पात्र लाभार्थी की आयु	परिपक्वता (वर्षों की संख्या)	अग्रिम एकमुश्त योगदान (रुपयों में) पूर्णांकित किया गया
1 वर्ष	17	2,87,870
2 वर्ष	16	3,09,750
3 वर्ष	15	3,33,290
4 वर्ष	14	3,58,620
5 वर्ष	13	3,85,870
6 वर्ष	12	4,15,200
7 वर्ष	11	4,46,750
8 वर्ष	10	4,80,710
9 वर्ष	9	5,17,240
10 वर्ष	8	5,56,550
11 वर्ष	7	5,98,850
12 वर्ष	6	6,44,360
13 वर्ष	5	6,93,330
14 वर्ष	4	7,46,030
15 वर्ष	3	8,02,720
16 वर्ष	2	8,63,730
17 वर्ष	1	9,29,370
18 वर्ष और उससे अधिक	0	10,00,000

अनुलग्नक-5

पोर्टल की परिकल्पित कार्यशीलताओं का संक्षिप्त विवरण

#	कार्यात्मकता	संक्षिप्त विवरण
क.	पंजीकरण और सत्यापन मॉड्यूल	1. लाभार्थियों का पंजीकरण 2. सहायक दस्तावेजों और आवश्यक डेटा को प्राप्त करना 3. डाकघर खाता विवरण का सत्यापन 4. आधार विवरण का प्रमाणीकरण (जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण)
ख.	बाल संरक्षण योजना (सीपीएस)	1.लाभार्थियों को सीपीएस से जोड़ना 2. गैर-संस्थागत देखभाल के लिए अभिभावक के साथ खाता विवरण मैप किया जाना चाहिए। 3 संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के तहत बच्चों को प्रदान किए गए लाभ
ग.	निगरानी के लिए डैशबोर्ड	1. लाभार्थियों के जनसांख्यिकीय और भौगोलिक प्रसार को दर्शाने वाली रिपोर्ट। परिकल्पित रिपोर्टों में से कुछ इस प्रकार हैं 1.1. आयु और लिंग वार रिपोर्ट 1.2. डेटा एंट्री रिपोर्ट 1.3. लाभार्थियों की सत्यापित सूची (डाकघर खाता और जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण) 1.4. लाभार्थियों की अनुमोदित सूची (डीएम द्वारा) 1.5. लाभार्थी, जो 18 वर्ष से ज्यादा आयु के हो गए हैं। 2. भुगतान रिपोर्ट 3. पूर्ववर्ती रिकॉर्ड रखना 4. लंबित और रेड फ्लैग रिपोर्ट 5. केपीआई निगरानी 5.1. वार्षिक स्वास्थ्य जांच 5.2. परामर्शदाता का दौरा 5.3 पुस्तक/स्टेशनरी आदि की उपलब्धता
घ.	शिकायत निवारण मॉड्यूल	सभी शिकायतों का समाधान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। मॉड्यूल के लिए कुछ कार्यात्मकताएं निम्नलिखित होंगी 1. ट्रैकिंग रिज़ॉल्यूशन 2. लंबित कार्रवाइयों के लिए अलर्ट 3. ऑटो-एस्केलेशन फीचर 4. पिछला रिकॉर्ड रखना 5. प्रत्येक लाभार्थी को प्रदत्त मॉनिटर रिजोल्यूशन
ड.	फीडबैक मॉड्यूल	अभिभावक से सीधे प्रतिक्रिया
च.	अभिसरण मॉड्यूल	अन्य मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के साथ अभिसरण की सुविधा प्रदान करना, जिनके लिए लाभार्थी पात्र होंगे।
छ.	एसएमएस सुविधा	लाभार्थियों के लिए उपयुक्त एसएमएस अलर्ट सुविधा
ज.	सत्यापन जांच	फॉर्म जमा करने से पहले पात्रता की जांच के लिए सत्यापन जांच (जैसे कि बच्चे की उम्र) शुरू की जानी
झ.	अस्वीकृति रिपोर्ट	1. अस्वीकृति के कारणों के लिए पूर्वनिर्धारित ड्रॉप डाउन 2. "अन्य कारण" कारण के बारे में डेटा प्रविष्टि के लिए अपेक्षा हेतु ड्राप डाउन, जो न्यूनतम शब्द सीमा में हो। 3. गलत डेटा प्रविष्टि के कारण अस्वीकृति के मामले में आवेदन में

		सुधार की अनुमति देना ताकि पूरे फॉर्म को बार बार भरने से बचा जा सके और अस्वीकृति की संख्या को कम किया जा सके।
ञ.	भुगतान मॉड्यूल	1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पीएम केयर्स से एक समर्पित खाते में निधियां प्राप्त करेगा और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए डीएम को आगे अंतरित करेगा। 2. डीएम द्वारा बच्चे की आयु के आधार पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग एकबारगी योगदान इस तरह से बच्चे के खाते में जमा किया जाएगा ताकि बच्चे की आयु 18 वर्ष होने पर कुल राशि 10 लाख रुपये की धनराशि जमा हो जाए। 3. डीएम बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य गतिविधियों, जैसा भी मामला हो,के लिए उत्तरदायी संस्थानों को आवश्यक निधियां प्रदान करेगा । 4. निधि अंतरण आदेशों का सृजन। 5. भुगतान को मंजूरी देने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग

लाभार्थी पंजीकरण, विधिमान्यकरण तथा खाता खोलने संबंधी प्रक्रिया चार्ट

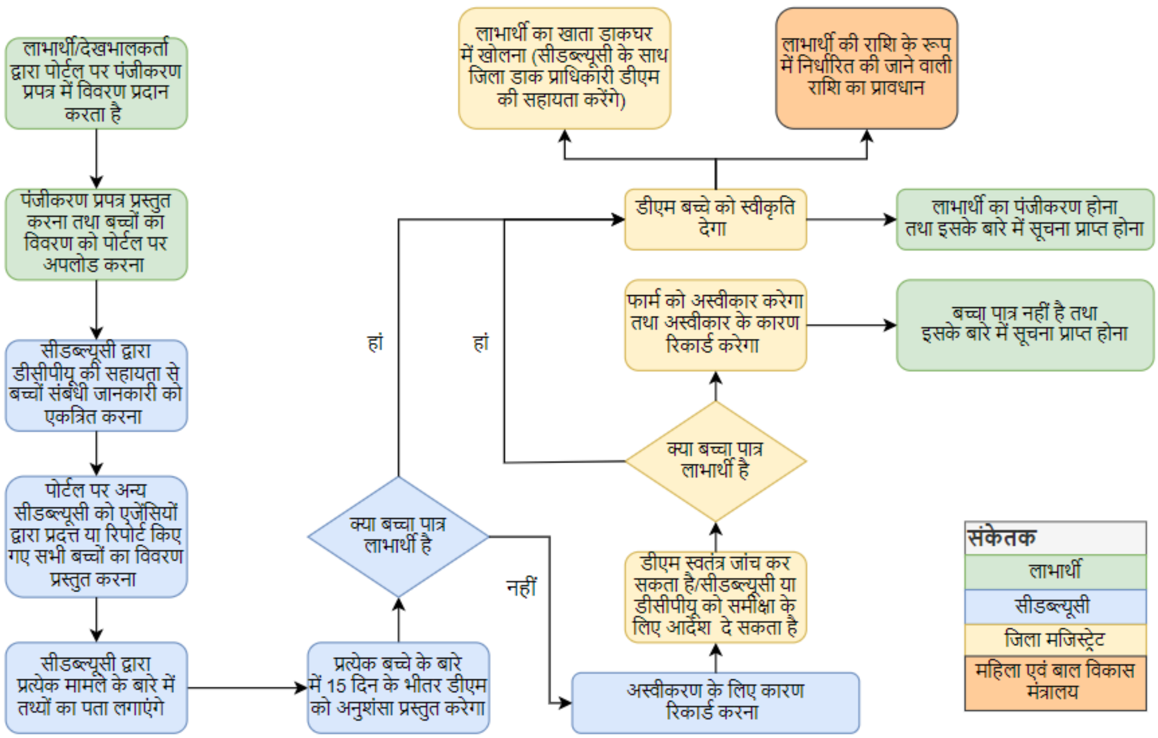

अनुलग्नक-7

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए निधि प्रवाह का तंत्र

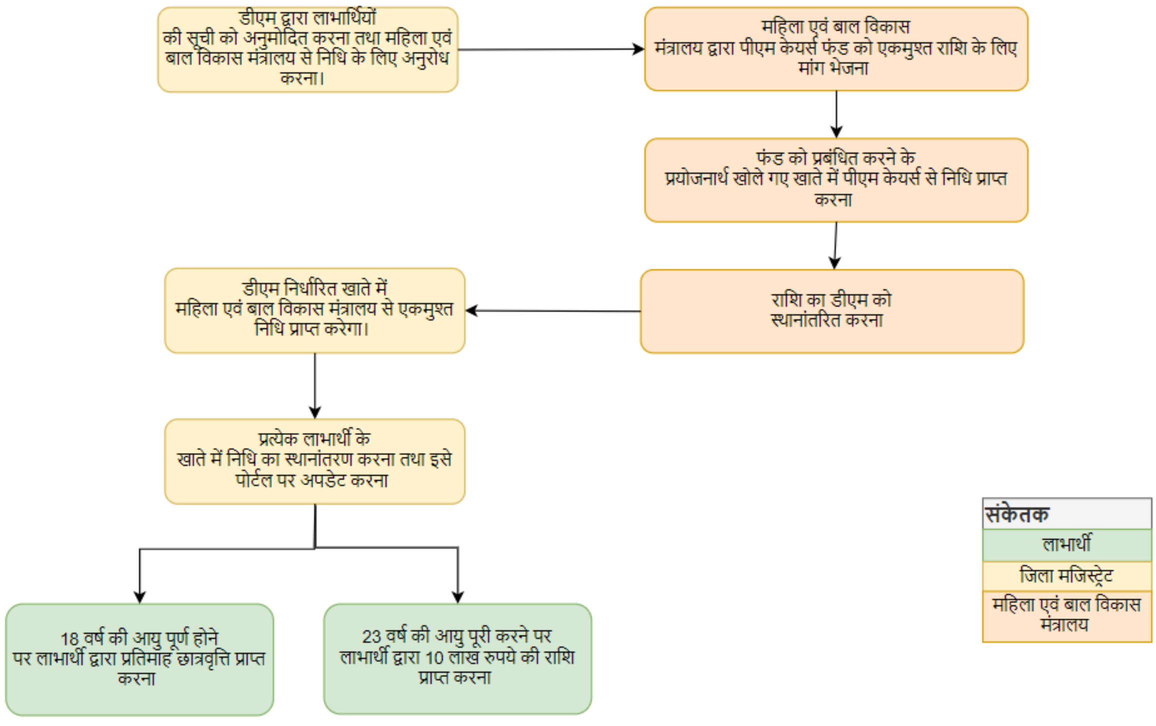

अनुलग्नक-8

संस्थानों के लिए निधि प्रवाह का तंत्र